न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	रेफरेन्स सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	06/25	2025/212	19.11.25	आम जनता अमावरा बनाम तहसीलदार बामनवास	25.02.2026	1 लगायत 7

आम जनता अमावरा तहसीलदार बामनवास जिला सवाई माधोपुर जरिये–

1. रूकमकेश पुत्र इन्द्रराज जाति मीना उम्र 30 साल निवासी अमावरा तहसील बामनवास।
2. चिन्कू पुत्र नेमजी जाति मीना उम्र 30 साल निवासी अमावरा तहसील बामनवास।

— प्रार्थीयान

बनाम

1. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर ।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–
अपीलार्थी की और से :– विद्वान अभिभाषक श्री नन्दलाल कुमावत
रेस्पोडेन्ट की और से :– पेरोकार सरकार
प्रार्थी कैलाश की और से :– विद्वान अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा (प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी)

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थीयान द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर ग्राम अमावरा के साबिक खसरा नं0 1594 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा किस्म नाला के अनुसार ही सेटिलमेंट के वाद कायम हाल खसरा नम्बर 4471/5083 की किस्म गै0मु0 रास्ता एवं 4682/5084 की किस्म बंजड को दुरूस्त कर गै0मु0 नाला दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा प्रत्यर्थी की और से पेरोकार सरकार [illegible]। प्रार्थीयान द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी तथा प्रार्थीयान कैलाश,श्यामलाल, [illegible] पुत्र हजारीलाल, मनोज पुत्र कैलाश

जाति मीना, धनसिंह पुत्र रामकिशोर जाति मीना, पायलेट पुत्र गिर्राज जाति बन्जारा, रामखिलाड़ी पुत्र प्रभाती लाल जाति बन्जारा की और से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी कैलाश वगै0 के अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर बहस सुनने हेतु निवेदन किया गया। उभय पक्षों की प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी कैलाश वगै0 के अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर अनुरोध किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण भूमि हाल खसरा नम्बर 4471/5083 रकबा 0.12 है० गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 4682/5084 रकबा 0.14 है० बजड़, 4471 रकबा 0.27 है। गै० मु० आबादी एवं ख०नं0 4477 रकबा 0.41 है० गै० मु० नाला ग्राम अमावरा के बावत् दो व्यक्तिओ द्वारा आम जनता का प्रतिनिधी बनकर गलत रूप से आम रास्ते की भूमि को हडपने की नियत से पेश किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त आम रास्ते की भूमि के दोनो ओर प्रार्थीगण रूकमकेश व चिंकू के परिवारवालों के खेत है। तथा प्रार्थीगण के परिवार वाले उक्त रास्ते की भूमि को अवैधानिक क़ब्जा कर स्वयं की भूमि मे मिलाने पर आमादा रहते है। कई बार उक्त लोगो ने आम रास्ते की भूमि पर कब्जा किया है जिसके बाबत प्रार्थीगण व गाँव के अन्य ग्रामीणो की शिकायत पर नायब तहसीलदार भांवरा द्वारा 13/06/2025 को उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध मे राजस्व अभियान में शिकायत की गई थी। जिस पर दिनाक 11/7/25 एवं 24/07/2025 को उक्त व्यक्तिओ के खिलाफ कार्यवाही की गई। जिसके पश्चात् मुख्य सचिव स्तर पर पुनः शिकायत करने पर दिनांक 08/10/2025 को पुनः उक्त व्यक्तिओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा दिनांक 04/11/2025 को धारा 91 एल०आर०एक्ट० की कार्यवाही करके रास्ता खुलवाया गया। इसके पश्चात् अतिक्रर्मी नाथूलाल व रत्तीराम जो कि आम जनता के उक्त प्रकरण में प्रतिनिधी के परिवार वाले है. द्वारा पुनः रास्ते की भूमि पर कब्जा कर लिया गया। जिसके बावत् नायब तहसीलदार भोंवरा द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही की गई। उक्त सभी कानूनी कार्यवाही से बचने के लिये उक्त नाथूलाल उर्फ नाथ्या व रत्तीराम पुत्रान हरजी जाति मीना निवासी अमावरा द्वारा एक दावा व प्रार्थना पत्र टी०आई० गलत तथ्यो के आधार पर न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास के यहाँ पेश किया जिसमें मनोज मीणा पुत्र कैलाश, इन्द्रराज पुत्र श्रीलाल, नेमजी पुत्र श्रीलाल एवं चंपाराम पुत्र घमण्डी को विपक्षी पार्टी बनाया गया तथा और जिसमे उक्त दावे के वादीगण व भूमि के अतिक्रर्मी नाथूराम व रत्तीराम को एस०डी०ओ० साहब बामनवास के यहाँ से स्थगन नहीं मिलने के कारण अपने परिवार के सदस्यो को उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण ने अपने ताउ के लड़के श्री नेमजी के पुत्र चिन्कु व इन्द्रराज के पुत्र रूकमकेश) को आमजनता का प्रतिनिधी बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश करवाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर विधी विरूद्ध जाकर न्यायालय श्रीमान के समक्ष रेफेरेन्स के रूप में प्रस्तुत किया तथा मौके पर मौजूद आम जनता के आवागमन के रास्ते की भूमि को गैरमुमकीन रास्ते को गलत रूप से नाले के रूप में दर्ज करने के बावत् प्रस्तुत किया है। जबकि मौके पर [illegible] कभी नाले के रूप में उपयोग में नही हुई तथा रास्ते के रूप में ही उपयोग में आने के कारण [illegible] द्वारा सही रूप से रास्ते के रूप में दर्ज किया गया मौके पर पुख्ता सडक बनी हुई थी जो ग्राम अमावरा के आमजन के आवागमन मुख्य रास्ता है। प्रार्थीगण भी उक्त रास्ते को खेतो पर आने जाने व कृषि संसाधन लाने ले जाने के लिये पिछले

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:08:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्याायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 06/25 आम जनता अमावरा बनाम तहसीलदार बामनवास

50 वर्षों से उपयोग में ले रहे है तथा खसरा नं. 4471/5083 से उपर खसरा नं. 4480 जिसमें लगभग 20 घरों की बस्ती रहती है, खसरा नं. 4448 में 03 घर तथा 4445 में 03 घर है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 150 से अधिक लोग रहते है। साथ ही खसरा न. 5570/4479 में एक प्रसिद्ध देवस्थान निर्मित है जिस पर होली, दशहरा, दीवाली पर सर्वसमाज के हजारों लोगों का एवं सामान्य दिनों में सैकडों लोगों का आवागमन रहता है। रास्ते को बंद करना जनभावना के साथ आस्था प्रभावित होने का भी विषय है। इसलिये अगर उक्त रास्ते को नाले में दर्ज किये जाने के उपरान्त प्रार्थीगण व उसके परिवार के लोगो द्वारा उक्त रास्ते की भूमि रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा कर रास्ते को नष्ट करने की पूर्ण संभावना है। इसलिये न्यायहित मे उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, साथ ही प्रार्थी कैलाश वगै0 के अधिवक्ता ने प्रकरण में कैलाश,श्यामलाल, रामकेश पुत्र हजारीलाल, मनोज पुत्र कैलाश जाति मीना, धनसिंह पुत्र रामकिशोर जाति मीना, पायलेट पुत्र गिर्राज जाति बन्जारा, रामखिलाड़ी पुत्र प्रभाती लाल जाति बन्जारा को पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अनुरोध किया है यह कि दरख्वास्त देहन्दा कैलाश, श्यामलाल, रराकेश पुत्र हजारी मनोज पुत्र कैलाश, धनसिंह पुत्र रामकिशोर पायलेट पुत्र गिर्राज, रामखिलाड़ी पुत्र प्रभाती लाल का मौजूदा प्रकरण से कोई तालुक व वास्ता नहीं हैं। प्रार्थीयान ने आमजन के हित में व राजहित में यह आवेदन पत्र पेश किया है। जिसमे प्रार्थीयान का कोई निजी हित निहित नहीं है। प्रार्थी द्वारा यह तथ्य छिपाये गये है कि साविक खसरा नम्बर 1594 रकबा 3 बीधा 7 विस्वा की किस्म गै.मु नाला थी और सेटलमेन्ट द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान हाल खसरा नं. 4471/5083 की किस्म गे. मु. रास्ता एवं 4682/5084 की किस्म बंजड एवं खसरा नं. 4471 गै.मु आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिये। जबकि सेटलमेन्ट विभाग को किस्म गैर मुमकिन नाला की भूमि को उक्तानुसार किस्म बदलने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णय सिविल रिट पिटिशन 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के निर्णय दिनांक 2.8.2004 एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित निर्णय दौलतराम बनाम अमीचन्द व अन्य रिविजन पिटिशन न. 5055/भीलवाडा/2003 निणर्य दिनांक 14.8.2018 आर आर टी 2018 पार्ट–2 पेज 1546 की खुली अवेहलना की है। जिसकी पालना हेतु ही प्रार्थीयान ने राजहित में यह आवेदन प्रस्तुत किया है। कानूनन तहसीलदार बामनवास का यह कर्तव्य था कि उनकी ओर से यह आवेदन श्रीमान् की सेवामें पेश किया जाना चाहिए। द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है तो उसके लिए तहसीलदार बामनवास की ओर से नियमानुसार धारा 91 के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। वास्तविकता में दरख्वास्त देहन्दा द्वारा राजकीय भूमि चरागाह व नाला पर अतिक्रमण किया हुआ है जिनको हटाने हेतु तहसीलदार बामनवास द्वारा धारा 91 का नोटिस दिया गया है और आज भी दरख्वास्त देहन्दा की फसल अतिक्रमण शुदा भूमि पर सरसब्ज हैं।प्रार्थी कैलाश वगै0 द्वारा उक्त प्रकरण में अपना हित निहित होने बाबत कोई अभिकथन नहीं किया है ना ही हित निहित है इस कारण प्रार्थना पत्र नि[illegible] द्वारा प्रार्थना जानबूझकर इस मुकदमें को देरीना करने की गरज से पेश किया है ताकि [illegible] री भूमि पर अतिक्रमण बरकरार रह सकें, साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम [illegible] सपठित 151 सीपीसी अस्वीकार कर निरस्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:08:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 06/25 आम जनता अमावरा बनाम तहसीलदार बामनवास

उभय पक्षों की प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर बहस सुनी गई। ओदश 1 नियम 10 सीपीसी के तहतः—

Order 1, Rule 10 of the Civil Procedure Code (CPC) empowers courts to strike out, add, or substitute parties (plaintiffs or defendants) at any stage of proceedings to ensure necessary parties are joined and complete adjudication of the dispute. It facilitates the addition of "necessary" or "proper" parties to avoid multiplicity of proceedings.

Key Components of Order 1 Rule 10 CPC:

10(1) - Wrong Plaintiff: If a suit is filed in the name of the wrong person or it is doubtful if the right plaintiff is added, the Court can substitute or add the correct person, provided it is a bona fide mistake.

10(2) - Striking Out or Adding Parties: The Court can, suo motu (on its own) or on application, strike out improper parties or add necessary/proper parties.

प्रकरण में प्रार्थी कैलाश वगै0 द्वारा ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो कि उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र से प्रार्थी कैलाश वगै0 किस तरह प्रभावित है कही कोई अंकन नहीं किया गया है, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के निर्णय से प्रार्थी कैलश वगै0 के हित पर किसी प्रकार से प्रभावित होते हो। अतः प्रार्थी कैलाश वगै0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी निरस्त किया जाता है। तत्पश्चात् प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र रेफरेंस में कम्प्यूटर टाईपिंग के दौरान निम्न अशुद्धियां हो गई है जिन्हें दुरूस्त करना न्यायार्थ आवश्यक है।

(अ) रेफरेंस प्रार्थना पत्र के पेज नं. 1 के पैरा नं. 3 की अन्तिम पंक्ति से लगातार पेज नं. 2 की प्रथम पंक्ति में खसरा नम्बर 1441/5177 रकबा 0.04, खसरा नं 4444/5178 रकबा 0.10 हेक्टेयर की जगह 'खसरा नम्बर 4471 रकबा 0.27 हेक्टेयर गै.मु. आबादी एवं खसरा नं 4477 रकबा 0.41 हेक्टेयर गे.मु. नाला संशोधित करते हुए शुद्ध किया जाना आवश्यक हैं "।

(ब) रेफरेंस प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 5 में तीसरी लाईन शब्द "बंजड" के बाद खसरा नं. 4471 रकबा 0.27 हेक्टेयर गै.मु.आबादी" जोड़ा जावें।

(स) अनुतोष की पंक्ति संख्या 4 में में खसरा नं. 4682/50[illegible]स्म बजड़ के बाद "खसरा नं. 4471 गै. मुआबादी" जोड़ा जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:08:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी ने अनुरोध किया कि उक्त अशुद्धियां कम्प्यूटर टाईपिंग के वक्त हो गई है। जो लिपिकीय त्रुटि है। जिसे सुधारने पर प्रकरण की नोइयत विषय वस्तु पर कोई विपरित प्रभाव नहीं होगा। प्रकरण में अभी तक किसी तरह से स्टेज मे परिवर्तन भी नही हुआ हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाना विधि संगत है।

अप्रार्थी की और से उपस्थित पेरोकार सरकार ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की।

अतः उभय पक्षों की सहमति पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् उभय पक्षों की अन्तिम बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि यह कि प्रार्थीयान ग्राम अमावरा तहसील बामनवास के रहने वाले हैं प्रकरण की नोईयत जनहित व राज्यहित से संबंधित हैं इस कारण रेफरेंस का आवेदन पत्र आम जनता अमावरा की और से पेश किया गया हैं।अप्रार्थी तहसीलदार लैण्ड होल्डर बामनवास है चूँकि प्रकरण राजस्व रिकोर्ड से संबंधित हैं इस कारण पक्षकार बनाया गया है। जमाबंदी संवत 2027 खाता संख्या सं1 के मुताबिक आराजी खसरा नं. 1594 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा किस्म नाला भूमि राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है। उक्त आराजीयात का सेटिलमेंट के दौरान हाल खसरा नं. 4471/5083 रकबा 0.12 हैक्टेयर गैर मु. रास्ता, खसरा नं. 4682/5084 रकबा 0.14 हैक्टेयर बंजड, खसरा नं. 4471 रकबा 0.27 हेक्टेयर, गै मु आबादी खसरा नं. 4477 रकबा 0.41 हैक्टेयर गै.मु. नाला वाके ग्राम अमावरा कायम किये गयें। इस प्रकार सेटिलमेंट के दौरान सेटिलमेंट के कर्मचारी एवं अधिकारियों ने उक्त हाल आराजीयात की किस्म में परिवर्तन कर दिया। जबकि उक्त आराजी खसरा नं. 1494 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा मूल रूप से किस्म नाला है। कानूनन सेटिलमेंट अधिकारी एवं कर्मचारियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि किसी भी आराजीयात की किस्म बाबत राजस्व रिकोर्ड में छेडछाड करें एवं किस्म परिवर्तन करें । साविक खसरा नं. 1594 रकबा 3 बीधा 7 विस्वा की किस्म गे. मु. नाला थी और हाल खसरा नम्बरान 4471/5083 रकबा 0.12 हैक्टेयर की किस्म गे.मु रास्ता व 4682/5084 रकबा 0.14 किस्म बंजड खसरा नं 4471 रकबा 0.27 हेक्टेयर गै. मु. आबादी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कर दी है।

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत उक्त आराजीयात की किस्म परिवर्तन कर अन्य उपयोग में लेना प्रतिबंधित हैं।</u> सेटिलमेन्ट के कर्मचारियों ने मनमाने तरीके से उक्त आराजी खसरा नम्बर 1594 रकबा 3 बीधा 7 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला की विभिन्न तरह की किस्म बदलकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णय सिविल रिट पिटिशन 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के निर्णय दिनांक 28.2004 एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित निर्णय दौलतराम बनाम अमीचन्द व अन्य रिविजन [illegible] 5050/2003 निणर्य दिनांक 14.8.2018 आर आर टी 2018 पार्ट–2 पेज 1546 की खुली अवहे[illegible] हैं। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा आज्ञापक आदेश प्रतिपादित किये है। उक्त [illegible] की पालना में कोताही किया जाना माननीय उच्चतर न्यायालय के आदेश की अवहेलना [illegible] हैं। जिला कलेक्टर महोदय सवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:08:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 06/25 आम जनता अमावरा बनाम तहसीलदार बामनवास

माधोपुर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना के क्रम में प्रतिमाह समीक्षा भी की जाती है। विपक्षी तहसीलदार बामनवास का यह कर्तव्य था कि इनकी ओर से यह रेफरेन्स पेश किया जाना चाहिए लेकिन इनकी ओर से यह रेफरेन्स जानबूझकर पेश नहीं किये जाने के कारण जनहित व राजहित में मिन प्रार्थीयान की ओर से यह रेफरेन्स दायर किया है जिसमें प्रार्थीयान का कोई व्यक्तिगत हित नहीं हैं,साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी ने साबिक खसरा नं. 1594 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा किस्म नाला के अनुसार ही सेटिलमेंट के बाद कायम हाल खसरा नं. 4471/5083 की किस्म गे. मु. रास्ता एवं 4682/5084 की किस्म बजड एवं खसरा नं 4471 गै. मु. आबादी को दुरुस्त कर गे गु नाला दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी की और से उपस्थित पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त रेफरेन्स गलत तथ्यों के आधार पर तथा त्रुटि पूर्ण प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्रार्थी पक्ष को नहीं है, भू धारक (तहसीलदार) ही ऐसे प्रकरणों में यदि उचित समझे, रेफरेन्स प्रस्तुत कर सकता है,साथ ही पेरोकार सरकार ने उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की 7 व 8 धारा के अर्न्तगत :–

Rajasthan Tency Act 1955 Section 7 :– Application of Act to State Government.- Unless otherwise expressly provided, the provisions of this Act shall apply in relation to land held by tenants directly from the State Government as if the State Government were the landholder, acting through the Tehsildar.

Rajasthan Tency Act 1955 Section 8 :– Power to act through agent.—(1) In the case of proceedings regulated by the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), save as otherwise provided by that Code, anything which is required or permitted by this Act to be done by any landholder or tenant may be done by his agent duly authorised in the prescribed manner, and in the absence of evidence to the contrary, such agent shall be deemed to be acting under the authority of the owner in all dealings between the landholder and tenant.

(2) Processes served on, and notices given to, such agent shall be as effective for all purposes as if they had been personally served on, or given to, the landholder or tenant, as the case may be, and all the provisions of this Act relating to the service of processes on, or notice to, any party shall apply to the service of processes on, or notice to, such agent.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:08:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 06/25 आम जनता अमावस बनाम तहसीलदार बामनवास

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 :– अभिलेख एवं कार्यवाहियों को मंगवाने तथा राज्य सरकार या मण्डल को निर्देश करने की शक्ति–

भू–प्रबन्ध आयुक्त या भू–अभिलेख निदेशक (या जिलाधीश) अपने अधिनस्थ किसी न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा निर्णित मुकदमें के या उसके द्वारा की गयी कार्यवाही के अभिलेख पर दिये गये आदेश की वैधता अथवा औचित्य से तथा कार्यवाहियों की नियमितता से अपने आपको संतुष्ट करने के प्रयोजन के लिए अभिलेख मंगा सकेगा तथा परीक्षण कर सकेगा।

उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कथन/अभिलेख के अनुसार विवादित भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता, बजड़, , गै0मु0आबादी, गै0मु0नाला अंकित है। जिसका भू–धारक तहसीलदार है तथा तहसीलदार उक्त प्रकरण में रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है। अब जबकि भू–धारक (तहसीलदार) द्वारा प्रकरण में दौराने बहस भूमि किस्म वर्तमान में मौके/रिकॉर्ड अनुसार " गै0मु0रास्ता" ही रखे जाने हेतु प्रार्थना की गई है। तब ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण (रूकमकेश और चिन्दू) का प्रकरण में न्यायालय में चाराजोही हेतु कोई **Locus Standii** नहीं बनता है।

चूंकि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि किस्म गै0मु0नाला एवं किस्म गै0मु0रास्ता दोनों ही आवंटन हेतु निषेध/प्रतिबंधित श्रेणियों में आती है एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में गै0मु0नाला के स्थान पर गै0मु0रास्ता किस्म (मौका अनुसार) परिवर्तन करने से राजकीय हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, साथ ही किसी निजी व्यक्ति विशेष को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होत है। भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ही वर्तमान में राजस्थान सरकार की खातेदारी में निहित है।

प्रार्थी उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में क्या हित निहित है प्रार्थी द्वारा यह अपने प्रार्थना पत्र में कही भी अंकित नहीं किया है।

मुख्य शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1)विभाग का परिपत्र सं0 13/22/राज/ग्रुप– 1/93, दिनांक 23.05.1994 के तहत विभाग द्वारा सड़क , पुल व उपयोग इत्यादि की मौके की स्थिति अनुसार तरमीम करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:08:11 IST
Reason: SelfAttested